NOTICE – GENERAL

No.: REG./GEN/2020-21/39 26 February 2021

उ०प्र० शासन की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक सूचना (सत्र 2020–21)
(सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु)

संस्थान में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2020–21 हेतु उ०प्र० शासन से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Postmatric Scholarship/ Fee Reimbursement) हेतु जिन छात्रों ने आवेदन किया है के सम्बन्ध में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक 337/पि0व0क०/2020–21, दिनांक 25 फरवरी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक C-7520/स०क०/छात्रवृत्ति/2020–21, दिनांक 25 फरवरी में दिये गये निर्देशानुसार, जिन छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संदिग्धता की श्रेणी में आ गया है एवं उनके आवेदन पत्र में कोई भी गलती नही हैं ऐसे छात्र/छात्राओं को दिनांक **01 मार्च 2021** तक संस्थान के कुलसचिव कार्यालय (Registrar Office) में स्वंय उपस्थित होकर स्वलिखित तथा स्वहस्ताक्षरित कर निम्नांकित संलग्नक लगाकर प्रार्थना पत्र जमा करने है।

संलग्नको का विवरण निम्नवत् है:–

1. छात्र/छात्राओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।
3. वर्तमान स्टेटस की प्रति (दिनांक 26/02/2021 या इसके बाद का)।
4. विगत वर्ष का अंकपत्र **(Result)**।
5. हाईस्कूल प्रमाण पत्र **(Certificate)** नेट वेरिफिकेशन सहित।
6. संदिग्धता से सम्बन्धित साक्ष्य के नेट की प्रति।
7. छात्र/छात्रा का ए0के0टी0यू0 का आवंटन पत्र **(Allotment Letter)** की प्रति यदि छात्र काउंसलिंग से है।
8. छात्र/छात्रा सभी प्रपत्रों को स्वहस्ताक्षरित करें एवं प्रार्थना पत्र सभी संलग्नको सहित दो प्रति में जमा करें।

विशेष:–विलम्ब की स्थिति में आवेदन पत्र अग्रसरित न हो पाने तथा शुल्क प्रतिपूर्ति अथवा छात्रवृत्ति अथवा दोनो ही न प्राप्त होने पर छात्र स्वंय जिम्मेदार होगा।

आज्ञा से,

(डा० सतीश चन्द्र)
कुलसचिव 26/02/2021